

13.02.2025

पतावली येश। अपील अपीलार्त उपस्थित
 नहीं, ना ही अक्रियाकृत अपीलार्त उपस्थित /
 अवाज्य लगाई गई फिल भी अपील अपीलार्त
 स्थं अक्रियाकृत अपीलार्त उपस्थित नहीं।
 इससे अपीलार्त की अपील चलाने में कमी
 जाहिए नहीं होती है।

अतः अपील अपीलार्त अदम पैरवी,
 अदम हाजरी में अवाज्य की जाती है। पतावली
 फैसल शुमाट होकर दाखिल दफतर ही।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
 गया।

अमेदी लाल मीना
 अपर जिला कलक्टर
 हनुमानगढ़